



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30122024-259726
CG-DL-E-30122024-259726

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5209]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 30, 2024/पौष 9, 1946

No. 5209]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 30, 2024/PAUSHA 9, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2024

का. आ. 5629(अ).—आयकर नियमावली, 1962 के नियम 5ग और 5ड के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार 'श्री परिपूर्ण सनातन चैरिटेबल ट्रस्ट, बेंगलुरु (पैन: AALTS2655L) की महाविद्यालय इकाई, 'श्री परिपूर्ण सनातन आयुर्वेद मेडिकल महाविद्यालय, अस्पताल और अनुसंधान केंद्र' को आयकर नियमावली, 1962 के नियम 5ग और 5ड के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनार्थ 'विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था' की श्रेणी के अंतर्गत 'वैज्ञानिक अनुसंधान' हेतु अनुमोदित करती है।

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख (अर्थात् पूर्व वर्ष 2024-25) से लागू होगी तथा तदनुसार निर्धारण वर्षों 2025-26 से 2029-30 के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 131/2024/फ.सं. 203/13/2024/ITA-II]

कात्रो जयप्रकाश टी, अवर सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन: यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।